



Chhattisgarh Professional Examination Board, Raipur छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर

[Home](#) [Change Password](#) [Contact Us](#) [Help](#)

Welcome TEEST USER [Sign Out](#)

Application Form For

B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology), Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy

Important Instructions

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण काउन्सिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरसीट पर कोई त्रुटिसुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें।

Exam Applied For

आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया निम्न में से उसे चयन करें *

- B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology), Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy B. Pharmacy, D. Pharmacy

Exam Pre-requisite

बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता-

1. बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त से 12वीं कक्षा की परीक्षा, अभातशिप द्वारा निर्धारित तीन मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। अथवा बी.टेक के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को डिप्लोमा वोकेशनल मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से अभातशिप द्वारा निर्धारित उसी या संबद्ध विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण।

बैचलर ऑफ फार्मसी (बी.फॉर्मसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी.फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता-

1. चार वर्षीय बी.फार्मसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित / जैवप्रौद्योगिकी / बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फार्मसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।

2. द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित / जैवप्रौद्योगिकी // बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

Choose Subject Group for Pre Pharmacy Test (PPHT) Entrance Examination (PPHT हेतु आप जिस समूह में परीक्षा देना चाहते हैं, उसे चुनें)

- BIOLOGY GROUP(PCB) MATHS GROUP(PCM)

Cancel

Basic Information / मूलभूत जानकारी

Candidate's Name / उम्मीदवार का नाम

TEEST USER

Relative's Type (रिश्तेदार का प्रकार) *

Father

Relative Name (रिश्तेदार का नाम)

TEST FATHER

Mother's Name / माता का नाम

TEST MOTHER

Gender / लिंग

Male

Date of Birth / जन्म की तारीख

25-Nov-1999

Age / उम्र

23 Years

Category / वर्ग

OBC (NON CREAMY LAYER)

Payable Amount / भुगतान राशि

0

Uploads / अपलोड



Other Information / अन्य जानकारी

Marital Status / वैवाहिक स्थिति

Married

Nationality / नागरिकता

Indian

Domicile of Chhatisgarh / छत्तीसगढ़ के निवासी

Yes

Email ID / ईमेल

Mobile No (मोबाइल नंबर)

9691253679

District Domicile

Raipur

Present Address / वर्तमान पता

House No / मकान नंबर

10

Street / स्ट्रीट

City/Village / शहर / गांव

State / राज्य

Chhattisgarh

District / जिला

Raipur

Pin Code / पिनकोड

492001

Application Applied for Exam City

Exam City *

--Select--

Person With Disabilities (क्या आप दिव्यांग है?) *

Yes

Type of Disability (दिव्यांगता का प्रकार)

- OA-One Arm OAL-One Arm and One Leg VC (दृष्टिबाधित) Hi (श्रवण बाधित) BL-Both Leg
 OR (चलन निशक्ता)/अस्ति बाधित HH-HEARING HANDICAPPED MC (बहु दिव्यांगता) B- Blind LV-Low Vision
 OL-One Leg SCD-Sickle cell disease (SCD) AAV-Acid Attack Victim DW-DWARFISM

For Physically Handicapped Candidate: Do You need to Scribe(Writer) ? (क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है?) *

No

Class / श्रेणी

Do you belong any class?/ क्या आप किसी वर्ग (Class) से सम्बंधित हैं ? *

Yes

No

Declaration / घोषणा

Declaration / घोषणा *

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं भारत का/की नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ। मैंने मैं विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है। यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।

I do hereby declare, that I am an Indian Citizen and the information given above related to my Name, Category, Gender, Date of Birth, Address and all other information given above are correct and I truthfully declare it to be correct. I have gone through the rules and other information

I Agree (मैं सहमत हूँ)

Captcha / कृपया कैप्चा को दर्ज करें *



Submit

Cancel

© 2023 CHiPS. All rights reserved.
This web site is best viewed in Google Chrome, Internet Explorer 9 and above.

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् -

1. सक्षिप्त नाम एवं विस्तार-

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें -इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा -

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (6) 'पीईटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट।
- (7) 'जेईई (मेन)' से अभिप्रेत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, ज्वाइंट इंटेन्स एक्जामिनेशन।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण - बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता-

- (1) बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा, अभातशिप द्वारा निर्धारित तीन मुख्य विषयों को गिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्वान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

अथवा

बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को डिप्लोमा वॉकेशनल मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अभातशिप द्वारा निर्धारित उसी या संबद्ध विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण।

- (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी की किसी भी शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा/द्विवर्षीय डिप्लोमा (लेटरल एण्ट्री) परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.एस.सी. परीक्षा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त 12 वीं कक्षा में गणित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा -

- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।

6. प्रावीण्यता सूचियों-

- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी -
 - (क) पीईटी प्रावीण्यता सूची - यह प्रावीण्यता सूची पीईटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ख) जेईई (मेन) प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची जेईई (मेन) में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (ग) डिप्लोमा प्रावीण्यता सूची - यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा इंजीनियरिंग परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
 - (घ) बी.एस.सी. प्रावीण्यता सूची - यह प्रावीण्यता सूची बी.एस.सी. परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक प्रतिष्ठत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

7. काउंसिलिंग- सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।

8. सीट आबंटन का क्रम -

- (1) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु -
 - (अ) बी.टेक. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 - (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आवंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (2) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु -
 - (अ) बी.टेक. (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
 - (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आवंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (घ) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।

9. दरस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-

- (1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्रविधिक होगा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
 - (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
 11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
 12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
 13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
 14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
 15. **निरसन एवं व्यावृत्ति**— इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव,

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for the Bachelor of Technology (B.Tech.) program, namely:-

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called "Admission Rules for the Bachelor of Technology (B.Tech.) Program for the Institutions of Chhattisgarh, 2023".
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) 'AICTE' means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
- (3) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (4) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
- (5) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;

- (6) 'PET' means the Pre-Engineering Test, State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Atal Nagar, Raipur for the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech. Program;
- (7) 'JEE (Main)' means Joint Entrance Examination, All India level Common Entrance Examination, conducted by the National Testing Agency, New Delhi for the purpose of determining the merit for admission to the B.Tech. Program;
- (8) 'Counselling Committee' means the committee, formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.

3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the B.Tech. program shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.

4. **Educational Qualification for Admission.** -

- (1) For admission to B.Tech. program- Passed 12th examination under (10+2) education system from the recognized board with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability, in three main subjects prescribed by the AICTE. It is also mandatory to pass separately in all three main subjects (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.

Or

For admission to B.Tech. program, the candidate should have passed Diploma Vocational from a recognized Board/University in the same or allied subject area prescribed by AICTE.

- (2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program- Passed Three-year Diploma/Two-year Diploma (Lateral Entry) Examination in any branch of Engineering and Technology from a recognized Board/University/Institute with at least 45% marks for unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability.

Or

Passed Bachelor of Science (B.Sc.) Examination from a recognized University/Institute, with at least 45% marks for the unreserved category and 40% marks for candidates of Chhattisgarh belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability. Apart from this, it is mandatory to pass in Mathematics in class 12th examination.

5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -

- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions, which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.

6. **Merit Lists.** -

- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
- (a) PET Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in PET.
- (b) JEE (Main) Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of percentage of marks scored in JEE (Main).
- (c) Diploma Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks in the final year of Diploma in Engineering Examination.
- (d) B.Sc. Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of percentage of total marks in the final year of B.Sc. examination.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.** - Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.

8. Order of seat allotment.-**(1) For admission to B.Tech. program-**

- (A) For admission to the B.Tech. program allotment of seats shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

(2) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program

- (A) For admission to B.Tech. (Lateral Entry Second Year) program, allotment of seats shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after this, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (B) After allotting the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list in Clause (c) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even after that if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (d) of Sub-Rule 1 of Rule 6.

9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-

- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.

10. Last date of Admission. - The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.**11. Cancellation of Admission.-** If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.**12. Removal of Difficulties. -** In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.**13. Amendment.-** State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.**14. Interpretation. -** If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.**15. Repeal and Savings. -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made, or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TOPESHWAR VERMA, Secretary.

3. स्नातक पाठ्यक्रम में पी.ई.टी.-2023 के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता:-

- 3.1 भारत का नागरिक हो।
- 3.2 छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी ही पात्र होंगे।
- 3.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 की 12वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा में 10+2 की 12वीं कक्षा में निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण की हो :- विज्ञान समूह-भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषय
- 3.4 इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 वर्ष पद्धति की 12 वीं कक्षा अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या कौन्सिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एवं मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा 10+2 की 12वीं कक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करेंगे।
 - 3.4.1 ऐसे आवेदक जो वर्ष 2023 में आयोजित मुख्य अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी (पूरक) परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पी.ई.टी. 2023 की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर लिया हो।
 - 3.4.2 ध्यान रहे कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational Course) 10+2 सर्टिफिकेट परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 3.5 न्यूनतम अंक सीमा :- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पी.ई.टी.-2023 में न्यूनतम अंक सीमा का बंधन नहीं है, किन्तु प्रवेश हेतु 10+2 की 12वीं कक्षा के विज्ञान समूह भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों सहित सामान्य वर्ग के छात्रों ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के छात्रों ने न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको में उत्तीर्ण की हो।
- 3.6 इन पाठ्यक्रमों में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी पी.ई.टी. 2023 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति बिन्दु क्रमांक 3.1 से 3.5 में उल्लेखित नियमों का प्रवेश के समय पालन सुनिश्चित करेगी।

4. स्नातक पाठ्यक्रमों में 12वी. कक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता निम्नानुसार है-

पी.ई.टी. द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों को जिन्होंने निर्धारित समय में ऑनलाईन काउंसिलिंग एप्लीकेशन फार्म भरा है उनकी सूची समाप्त होने के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रहती है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा सभी सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों की रिक्त सीटों की संख्या दर्शाते हुये इन्हें भरने हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जावेगा। इन सीटों पर प्रवेश निम्न क्रमानुसार दिया जावेगा।



(35)

पी.ई.टी. प्रवेश परीक्षा-2023

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) / बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी)

B.Tech. (Agricultural Engineering)/B.Tech. (Food Technology)

प्रवेश नियम

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संघटक शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त सम्बद्ध निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातक-स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नियम

1. सामान्य

ये नियम पी.ई.टी. परीक्षा प्रवेश नियम- 2023 कहलायेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पत्र क्र. बी-दिनांक.....2023 द्वारा जारी किए गये हैं। ये प्रवेश नियम बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2. स्नातक पाठ्यक्रम का नाम, अवधि एवं महाविद्यालय का नाम :-

2.1 पाठ्यक्रम-बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) अवधि 4 वर्ष
B.Tech. (Agricultural Engineering) - 4 Years Degree Course

2.1.1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय:-

1.	स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर(छ.ग.) Swami Vivekanand College of Agricultural Engineering and Technology & Research Station, Raipur (C.G.)
2.	भवानी साव रामलाल साव मेमोरियल कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली(छ.ग.) Bhwani Sao Ramlal Sao Memorial College of Agricultural Engineering and Technology & Research Station, Mungeli (C.G.)

2.1.2 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से मान्यता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालय :-

1.	भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला-दुर्ग (छ.ग.) Bhartiya College of Agricultural Engineering, Pulgaon Chowk, District - Durg (C.G.)
2.	छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, धनोरा रोड, रिसाली, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) Chhattisgarh College of Agricultural Engineering, Dhanora Road, Risali, Bhilai, District - Durg (C.G.)

2.2 पाठ्यक्रम-बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) अवधि 4 वर्ष
B.Tech. (Food Technology) - 4 Years Degree Course

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय:-

1.	खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) College of Food Technology, Raipur (C.G.)
----	--

टिप्पणी:-उल्लेखित महाविद्यालयों के लिये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल से अनुमोदन/अनुमति उपरान्त सीटों का निर्धारण किया जावेगा।

(34)

Handwritten signature and stamp of the institution.

- 4.1 छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी जिन्होंने पी.ई.टी.-2023 की परीक्षा दी है, परन्तु निर्धारित समय में प्रथम काउंसिलिंग के समय ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाये थे तथा बिन्दु क्र. 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे।
- 4.2 छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी जिन्होंने पी.ई.टी.-2023 की परीक्षा नहीं दी परन्तु 12वी. उत्तीर्ण हो तथा बिन्दु क्र. 3 के अनुसार योग्यता रखते हैं वे प्रवेश हेतु योग्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को 12वी. कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- 4.3 छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की दशा में अन्य राज्यों के 12वी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वी. कक्षा के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। अन्य राज्यों के केवल ऐसे अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु योग्य होंगे जिन्होंने संबंधित राज्य द्वारा आयोजित अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से ही 12वी. की परीक्षा (बिन्दु क्र. 3.3 में वर्णित विषयों के साथ) उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त उन्हें बिन्दु क्र. 3.4 एवं 3.5 के अनुसार न्यूनतम अंक सीमा की पूर्ति करना भी आवश्यक होगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

टिप्पणी-12वी. के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश देते समय 12वी. का प्रतिशत समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में 10वी. के प्रतिशतके आधार पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

5. विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटे की सीटों पर प्रवेश-

- 5.1 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में अधिकतम 15 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटा के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगी।
- 5.2 प्रबंधन कोटा में संस्था द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता/पात्रता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा।
- 5.3 प्रबंधन कोटा पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी बिन्दु क्र. 3 एवं 4 की पूर्ति करता है तो ही वी प्रबंधन कोटे की सीट पर प्रवेश हेतु योग्य होगा।
- 5.4 प्रबंधन कोटा की सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आबंटन की प्रक्रिया का दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी किया जायेगा। सीट आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्हीं दिशा निर्देशों के द्वारा जारी की जायेगी।
- 5.5 प्रबंधन कोटे की सीटों पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।

6. संचालनालय, कृषि विभाग के विभागीय अभ्यर्थियों को प्रवेश :-छत्तीसगढ़ के संचालनालय कृषि विभाग के कर्मचारियों को भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.ई.टी.-2023 के माध्यम से मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, यदि वे प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं, तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर केवल विश्वविद्यालय के संघटक (शासकीय) महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा।

7. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (AIEEA-UG) के आधार पर प्रवेश :-इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त) में केवल बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) पाठ्यक्रम में कुल उपलब्ध सीटों की 20 प्रतिशत सीटों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2023 (AIEEA-UG) के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

(36)

8. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि :-प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परिक्षार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जावेगी तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

8.1 आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के सफल अंतिम अभ्यर्थी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हे सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा।

8.2 यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जायेगी।

9. पी.ई.टी.-2023 में समान कुलांक पाने वाले परिक्षार्थियों की प्रावीण्यता का निर्धारण: पी.ई.टी. 2023 में समान कुलांक पाने वाले अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु पी.ई.टी 2023 के विषयों की महत्ता, निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार मानकर निश्चित की जायेगी :-

1. गणित 2. भौतिकी 3. रसायन

उक्त तीनों विषयों में भी समान अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में प्रवेश हेतु प्राथमिकता अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी। यदि उपरोक्त के अनुसार उम्र भी समान होने की स्थिति में 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

10. सीटों का आरक्षण :-

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सम्बद्धता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालयों के बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रमों में निम्नानुसार सीटों पर आरक्षण उपलब्ध होगा।

10.1 अनुसूचित जाति(Scheduled Tribe - ST)/अनुसूचित जनजाति(Scheduled Caste - SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग(Other backward class - OBC) (क्रीमिलियर को छोड़कर)-छत्तीसगढ़ राज्य के (मूल निवासी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के पुत्रों/पुत्रियों के लिये क्रमशः 12, 32, एवं 14 प्रतिशत वर्टिकल आरक्षण होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलियर) वाले अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10.2 ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया, स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। स्थाई जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। (प्रारूप 1 एवं 2)

10.3 कृषक (Krishak - K):-सभी आरक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण लागू होगा लेकिन यदि अभ्यर्थी आवेदन फार्म में कृषक वर्ग हेतु आवेदन करता है और वह मेरिट में आता है लेकिन किन्ही कारणों से वह निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उसे कृषक वर्ग में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तथापि उसकी मेरिट, जिस वर्ग/संवर्ग का वह अभ्यर्थी है, उसमें मान्य होगी एवं उसे सीट उपलब्ध होने पर प्रवेश लेने

(37)

की पात्रता होगी। अभ्यर्थी इस वर्ग में उपलब्ध सीटों की संख्या देखकर ही उस वर्ग के विकल्प को चुने। कृषक प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-3)। कृषक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।

- 10.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter - FF):- सभी श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र पौत्रियों के लिए 03 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। इसके लिये छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी ही पात्रता रखते हैं और जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है। इसी अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक उनकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में हो, तो इन्हे भी आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-4)। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 10.5 महिला (Female - F):- सभी श्रेणी के अंतर्गत (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी) महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत होरिजान्टल आरक्षण उपलब्ध होगा। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 10.6 जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग/निवासियों हेतु:-जम्मू कश्मीर से विस्थापित एवं गैर विस्थापित कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दुपरिवार के लिये बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) अथवा बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) में 1 सीट आरक्षित रहेगी। विस्थापित परिवार के अभ्यर्थी को वर्तमान निवास स्थान के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-5)। कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु परिवार के व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में ही निवास करते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के संबंधित जिले के अनुभागीय अधिकारी (राजस्व)/सक्षम अधिकारी से प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप-6)। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें रिक्त रहेगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।
- 10.7 दिव्यांग (Physically Challenged- PH)अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण:-दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों हेतु समस्त कृषि अभियांत्रिकी/खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगी। इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल तथा अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांग हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (प्रारूप-10)। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित कर भरी जायेगी।
- 10.8 कमजोर जनजातियों के लिए आरक्षण (Special Tribes- SpTr):-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति हेतु कमजोर जनजातियों (अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, बैगा, पंडो, भुजिया) के लिये सीटें छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार आरक्षित रहेगी। इस संवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार संवर्ग एवं अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरी जायेगी।

- 10.9 नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्तियों के पुत्र-पुत्रियों के लिए आरक्षण (Naxal Affected - NaxAf):-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रत्येक सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के आश्रित पुत्र/पुत्रियों के लिये एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध रहेगी। इस वर्ग में प्रवेश लेने हेतु जिलाध्यक्ष/पुलिस अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा (प्रारूप-7)। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीट रिक्त रहेगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जावेगी।
- 10.10 भूतपूर्व कार्मिक (Ex-Servicemen-ExS):-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित प्रत्येक महाविद्यालयों में भूतपूर्व कार्मिकों के संतानों /व्यक्तियों के लिये स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 02 प्रतिशत सीटों (Horizontal) को आरक्षित किया गया है। इस वर्ग के अभ्यर्थियों जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय कमांडिंग आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लावेंगे कि वे थल सेना/वायु सेना/नौ सेना के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक और वह प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ या सेवारत होने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8) में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें नियमानुसार परिवर्तित की जावेगी।
- 10.11 स्वपोषित सीट (Self Financed Seat-SFS):-बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सभी अनारक्षित एवं आरक्षित वर्गों में स्वपोषित सीटों (SFS) का प्रावधान किया गया है (Table-1)। इन सीटों पर पी.ई.टी. प्रवेश नियम के अनुसार अर्हता एवं योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। स्वपोषित सीटों (SFS) की संख्या एवं शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण/परिवर्तन विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मंडल की बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं अनुमोदन के उपरान्त समय-समय पर जारी किया जावेगा। स्वपोषित सीट हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह सीटें रिक्त रहेंगी अर्थात् किसी अन्य श्रेणी से नहीं भरी जायेगी और न ही सीटें परिवर्तित की जायेगी।

टिप्पणी: समस्त आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश नियम में उल्लेखित न्यूनतम पात्रता एवं अर्हता आवश्यक होगी।

11. उपलब्ध सीटों का विवरण :-बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) एवं बी.टेक. (खाद्य प्रौद्योगिकी) पाठ्यक्रमों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के सम्बद्ध शासकीय कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त निजी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर श्रेणीवार अनारक्षित एवं आरक्षित सीटों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा है। आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दशमिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जायेगा।

12. सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया -

- 12.1 सीटों पर प्रवेश हेतु सीट आबंटन की प्रक्रिया का दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया के पूर्व अलग से जारी की जायेगी। सीट आबंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया इन्हीं दिशा निर्देशों के द्वारा की जायेगी।
- 12.2 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग में भी प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा-“अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के

11.3

4
(39)

अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलियर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तब रिक्त स्थान सामान्य श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

12.3 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12.4 अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

13. प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि—प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूची इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पृथक से बनाई जायेगी। तथा इन प्रावीण्य सूचियों की प्रति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

टिप्पणी:—आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक सामान्य श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी से अधिक हो उनकी गणना सामान्य श्रेणी में की जाकर उन्हें सामान्य श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा व उतनी ही संख्या में सामान्य श्रेणी के अंतिम प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रावीण्य सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जायेगा।

14. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण:—छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी पी.ई.टी. 2023 मेरिट सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर काऊंसलिंग के माध्यम से आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जावेगा। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता/शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र काऊंसलिंग के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। पी.ई.टी. 2023 की अंकसूची, 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग (नान क्रिमीलेयर) वाले अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।

15. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि का निर्धारण:—महाविद्यालय में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक ही किये जायेंगे।

16. शारीरिक योग्यता :-

16.1 आयु सीमा : प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31 अगस्त 2023 को 16 वर्ष की हो। उल्लेखित दिनांक अर्थात् 31 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष से कम होने पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

16.2 स्वास्थ्य अर्हता: चयनित परीक्षार्थियों को प्रवेश के उपरांत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र न्यूनतम सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज स्तर के अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

(40)

17. मूल निवासी को शर्तें

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष 2023 तक के पांच वर्षों के अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रारूप-9)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र / पुत्री हो :

- (i) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रारूप-9)

अथवा

- (ii) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकदार, टेलीफोन) तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 01 जनवरी 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो। (प्रारूप-9)

स्पष्टीकरण-1 (छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी: छत्तीसगढ़ का मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की गोल सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण -2 (अभिभावक)

किसी भी अभ्य से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री)

यदि कोई आवेदक सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा की ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हो। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे। (प्रारूप-9 अथवा शासन से निर्धारित प्रारूप में)

(21)

18. यदि संघटक शासकीय महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय किसी ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लेते हैं/प्रवेश दे देते हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम पात्रता/अर्हता नहीं रखता हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जावेगा/जावेगी, जानकारी होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निष्कासित कर दिया जावेगा और इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं/ सम्बद्ध महाविद्यालय/मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।
19. प्रवेश निरस्तीकरण :-यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
20. प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नोतिगत विषयक प्रश्नों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग द्वारा स्थापित नियमों को संदर्भ एवं संज्ञान में रखते हुए इसका क्रियान्वयन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात भी प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधी कोई विवाद खड़ा होता है तो उसके निर्णय अथवा अंतिम स्पष्टीकरण हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी-वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय के अधीन संचालित समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीटों की संख्या की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद एवं प्रबंध मंडल बैठको में लिये गये निर्णय एवं अनुमोदन उपरान्त जारी किया जावेगा।



(42)


DEAN
SV College of Agr. Engg. and Tech.
B. H. PAF, ICRV, Raipur (C.G.)

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप
(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का नं.....
वि.खं.....तहसील.....जिला.....संभाग.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक.....
पर अंकित है अतः श्री/सुश्री.....पिता/पति का नाम.....
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....है।

दिनांक-

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।
यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये न कि अभ्यर्थी के अनिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।


DRAN
College of Agr. Engg. and Tech.
& RS, F&E ICV, Raipur (C.A.)

(43)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमी लेयर को छोड़ कर) प्रवर्ग
के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी प्रमाणीकरण

अनुभाग..... जिला..... छत्तीसगढ़
पुस्तक क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... आत्मज श्री..... निवासी
ग्राम..... जिला संभाग..... छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो जाति के है, जिसे
पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा-वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांकएफ
8-5/25/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमन्थ किया गया है।

श्री और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला..... संभाग.....
में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..
..... कीमी लेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्णों की प्रवर्ग में नहीं आते है, जिनका उल्लेख भारत सरकार, कर्मियों एवं
प्रशिक्षण के परिपत्र क्रमांक 360/2122/93/स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची में कालम -3 में तथा छत्तीसगढ़
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1 आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ई की
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ...
..... है।

दिनांक.....

स्थान :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम एवं सील

44

44
SV College of Agril. Engg. and Tech.
& P. T. B. ICV, Raipur (C.G.)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-3

कृषक प्रमाण पत्र

कार्यालय तहसीलदार अथवा विकास खण्ड अधिकारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)..... निवासी.....जिला..... के द्वारा सत्यापित किया जाता है कि विद्यार्थी के पालक/पालिका के पास कृषि भूमि है एवं वे कृषि कार्य में भी संलग्न है।

यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पालक/पालिका के कृषि कार्य में संलग्न होना प्रमाणित करता है।


स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)

तहसीलदार

एवं विकास खण्ड अधिकारी


SV College of Agriculture, Engg. and Tech.
& RS, FAE, IGKV, Raipur (C.G.)
Ah

(45)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-4

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम)श्री /सुश्री....
.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की वैध संतान है। जो श्री/सुश्री.....
.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की/ वैध संतान है। श्री/सुश्री.....
(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.....के कलेक्टर
कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।
स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत
डिप्टी कलेक्टर से
अन्यून स्तर का राजस्व अधिकारी पदनाम एवं सील

(46)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-5

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की संतान हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री(अभ्यर्थी का नाम) जो प्रथम वर्ष.....में प्रवेश के अभ्यर्थी है श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) की संतान है, जो जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित है। वर्तमान में ये.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....प्रदेश में वर्ष.....से निवासरत है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-6

जम्मू कश्मीर के निवासियों (कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दु)
संदर्भ क्रमांक..... दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
माता/पिता.....जो स्नातक पाठ्यक्रम(प्रवेश वर्ष).....में जम्मू एवं
काश्मीर राज्य के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है,जम्मू कश्मीर के
कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू है एवं वर्तमान में ये.....ग्राम.....तहसील.....जिला.
.....निवासरत है।

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अधिकारी पदनाम एवं सील

(48)



(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-7

नक्सली हिंसा से दिवंगत व्यक्ति के पुत्र/पुत्रियों का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम)
श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी पिता/माता का नाम) के/की संतान है, जो
नक्सली हिंसा में दिवंगत हुये है। उन्हे यह प्रमाण पत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयरायपुर के अन्तर्गत
संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कलेक्टर अथवा पुलिस अधीक्षक

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-8

भूतपूर्व कार्मिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....


यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री (अभ्यर्थी का नाम) श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम) के/की संतान है, जो स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री.....(भूतपूर्व कार्मिक का नाम) थल सेना/वायु सेना/नौ सेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....से सेवा निवृत्त है। यह प्रमाण-पत्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयरायपुर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रदान किया जाता है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा)
कार्यालय सील, कमांडिंग
आफिसर/प्राधिकृत अधिकारी

(50)


DEAN
SV College of Agril. Engg. and Tech.
& RS, FAR, IGVV, Raipur (C.G.)

A.B.

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-9

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री आत्मज/
आत्मजा/ पत्नी निवासी तहसील व
जिला..... छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है,

क्योंकि वह-

1/- निम्नलिखित चार में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति करता है :-

1. वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

2. (क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालको में से कोई-

अथवा

(ग) उसके पालको में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैद्य अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालको में से कोई-

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी का सेवारत है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है.

4. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालको राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कण्डिका में उल्लेखित शर्त की पूर्ति भी करता है ।

5. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की हो,

6. उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हो अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक या 8वीं कक्षा की परीक्षा.

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटर मीडियेट, हायर सेण्टकडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो 8वीं कक्षा की परीक्षा.

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा.

2/- उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे -

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को आर्बिट्रिट अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ में सवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

स्थान :

दिनांक :


प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(पद नाम एवं सील)

(इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रारूप)

प्रारूप-10

दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु प्रमाण-पत्र का नमूना

 सत्यमेव जयते	<p>भारत सरकार / श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण Govt. of India, Ministry of Labour & Employment (DGE&T) Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) Dana Godam, Napier Town, Jabalpur - 482001 (M.P.)</p>	
Intake/EVL. No	Phone : 2405581	Date
SUITABILITY CERTIFICATE		
It is certify that Shri/Smt./Ku.....		
S/D of Shri:.....	Resident of:.....	
is a registered disabled person of this centre with the disability of:.....		
who is evaluated in this centre on date..... On the basis of Evaluation/Assessment report he/she is found suitable for admission in the following training centres / occupation.		
1.	2.	
3.	4.	
Note : This certificate is not valid for any legal litigation		
<p>Assistant Director Employment/H.O.O. Govt. of India, M/O Labour & Employment (DGE&T) Asst. Director, Employment</p>		

(52)


DEAN

SV College of Agril. Engrg. and Tech.
& RS, FAE, IGV, Raipur (C.G.)

AM

Final

पी.ई.टी. परीक्षा 2023: प्रवेश नियम
“दुग्ध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा”


DIPLOMA IN DAIRY TECHNOLOGY (D.D.T.)

में प्रवेश हेतु नियम



दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

पिन कोड : 491001, www.cgkv.ac.in


कुलसचिव
दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
पी.ई.टी. परीक्षा 2023: प्रवेश नियम

दूध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (Diploma in Dairy Technology) में प्रवेश हेतु नियम

1.0 सामान्य

1.0 निम्न पी.ई.टी. परीक्षा प्रवेश नियम 2023 काव्यायीं जो उत्तीर्ण इ प्रवर्तमान शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये है। ये प्रवेश नियम दूध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होंगे।

2.0 संस्था, पाठ्यक्रम का नाम एवं अवधि

2.0 उत्तीर्ण करने वाले प्रवेश करने वाले दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग का अधिनस्थ पी.ई.टी. पाठ्यक्रम संस्कार संरक्षित है। इन संस्थाओं के नामों से विद्यार्थियों को कुछ क शक्यता व प्रवर्तमान विभिन्न दुध प्रवर्तनीय के विचार दूध का दुध उत्पादन का विचार व जांचने के विचार तकनीकी परीक्षा पर संरक्षित एवं वास्तविक ज्ञान दिया जाता है।

2.2 संस्था का पता - 1. टैंगरी मैंगेलेटिक कॉलेज, जे 25 (1) महाराष्ट्र राज्य एजुकेशन, नयापूर, बैलकृष्ण (इलीक्यूट)

2. टैंगरी मैंगेलेटिक कॉलेज, राज्यजीवन कॉलेज परिसर, बोस-डो, नैपाल

2.3 पाठ्यक्रम - दूध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा Diploma in Dairy Technology (D.D.T.)

2.4 अवधि - 2 वर्ष (दो सेमेस्टर)

2.5 माध्यम - हिन्दी (Hindi) एवं अंग्रेजी (English)

3.0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पत्रवा एवं अर्हता

3.1 उम्मीदवार का नागरिक होना

3.2 उत्तीर्ण करने वाले निवासी होना

3.3 उम्मीदवार को आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की अग्रतम अनुभव वर्ग के विद्यार्थी के अनुसार दिनांक 31 नवंबर को 17 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक न हो। अनुभवित नगरपालिका/अनुभवित नगरपालिका/विभाग/कलेजा एवं अन्य शिक्षा वर्ग (इलीक्यूट) का प्रवेश हेतु

3.4


Director Extension Education
GB Kamdhenu V. V. Durg


कुलसचिव
दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

3.3. सी की गुणवत्ता आनु प्रवेश एवं छात्रों के विनायक उ विद्यार्थियों को 10+2 की अ
प्रकार 24 वर्ष से अधिक है।

3.4. राष्ट्रीय मान्यता (शै.) मंडल अथवा संस्कृत बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of
Secondary Education) या केन्द्रीय स्तर की इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council
for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा में शिक्षक प्रमाण एवं
नतीजा मिलाने चाहिए। (अतीर्ण की भी।)

3.5. वैश्विक योग्यता

1 वैश्विक (IGME) की 12 वीं कक्षा में शैक्षणिक, व्यायाम एवं गणित विषयों परीक्षा अतिरिक्त होने
प्रकार का होगा।

3.6. इन माध्यम से प्रदेश एग्जम में से छात्र को सम्मिलित हो सकते हैं जो 10+2 में 12 वीं कक्षा में
राष्ट्रीय शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की 12 वीं कक्षा अथवा संस्कृत बोर्ड ऑफ सेकेंडरी
एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या केन्द्रीय स्तर की इंडियन स्कूल
सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10+2
की 12 वीं कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे पहले ही किन्तु इन आयों का उपयुक्त वातावरण
में प्रवेश हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना है। प्रवेश के समय अक्टूबर 2019 तक जारी की 12 वीं
कक्षा अथवा संस्कृत बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) या
केन्द्रीय स्तर की इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the Indian School
Certificate Examinations) में 10+2 की 12 वीं कक्षा को पूरा किया हुआ प्रमाण देना।

3.7. जिस अभियंता को मुख्य आधिकारी परीक्षा (10+2) में अतीर्ण न होकर किसी अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण
होने के बाद प्रवेश के पात्र नहीं है। जैसे ही अंततः सी.बी.ई.सी.ई. में प्रवेश करने में स्थान क्वॉटा
प्राप्त कर लिए।

4.0. तयसक सीटों का विवरण

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. देगरी नोन्सेलेब्रिज कोटा (50-0) | : | 10 सीटें |
| 2. देगरी नोन्सेलेब्रिज एडवन्सिड मिडियम (10+2) | : | 10 सीटें |

5.0. मूल निवासी, आश्रित सीटें एवं आरक्षण के लाभ लेने हेतु पात्रता एवं शर्तें

जिस श्री वासुदेव अम्बादास कामरेडु मैग्निटिडनस का आदर्श रूप लेने के लिए मैग्निटिडनस संस्था
में छात्रों समूह शासन लोक सेवा (शिक्षा) विभाग (शिक्षा) में सम्मिलित परीक्षाओं और अन्य विभाग में
में 10+2 आरक्षण संख्या (SI) 20% (SC) 10% (E) (OBC) 10% या राज्य सरकार के द्वारा तयार करने में
प्रकार के अन्तर्गत 10+2 आरक्षण संख्या के प्रमाण अनुशासन प्रवेश की कार्यवाही को आगे बढ़ाने।

20/11

Director Extension Education
CG Kamdhenu P, M Durg

मुख्य सचिव
श्री वासुदेव चंद्राकर कामरेडु शिक्षा विद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

कमिता में बैठक में ही कन्सुमाता जोडित हो हो मता हो हो एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयर्स जमिनादक
माता जगत और अन्तरिक्षी कतिना को अकिनागत के रूप में मान्यता नहीं होय

अनुसूचित-8 द्वाराक पुत्र/पुत्री

यदि कोई क वेक र 1 न्य ज्यथा आरहेन कोषे मे बलक पुत्र/पुत्री के अन्तर पर फोश बाहे हो
उसे बलक पुत्र/पुत्री हान हो संशय में नमान कसक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कस त
लिखे आकारन कि लिखिते अतिन निधि को वान से कन पत्र एवं पुत्र निनिमित्त पैदा करेगा।
कंग अन्तकनाना एव तक न्य बाहे कि क जावेगा न्य नय कसके सिपुडे
विधाताय/अन्तिकाताय क अमित्तय उन्न महानिक/अन्तरगत नक्किक/बी.एस.सी. न य क अन्तक
न मात नसे से आन्तरक प्रश बन्दीप किशो प्लीया के प्रमाण हो नहे हो जाली हो इन निधो के
अन्तगत एन्ड एकी माता को सेवे कनर वॉलन एन्तिलय में दर्ज आवेकन के दिना जय नान हो
ज्वल मान होय। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के अन्तक अन्तगत
के मा ही में जो आन्तरक होय कि फल अन्तक कोर निगे जाने के पुत्र में न्यअ अनुसूचित
जाति अनुसूचित जनजाति के हो रहे हो। ऐसे क वेक जो अन्तक न्य कने के हो तथा किरी
अन्तकन नहे एवं अनुसूचित जनजाति के अन्तिकात न कोर लिया हो अनुसूचित जाति एव
अनुसूचित जनजाति के आन्तरक के प्रश सुधिा एवं जग के मात नसे हो

- 5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (डिमीलेयर को छोडकर)
- 5.2.1 कभीकात शक्य के (मूल निक्की) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (डिमीलेयर का जाना) के पुत्र/पुत्री के लिये प्रवेश के समय 2000 ए व न सामान्य प्रशासन केंद्रन एव चार्ज क शक्य शक्य निवार/दिवा/विधवा विदेशी का हाल कय कीही के कनेकन कन कनेकन
- 5.2.2 ऐसा अन्तरी का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग (डिमीलेयर को छोडकर) फल में होये कनेकी माता एव दादा कता हो उस समय अन्तक नय कर्गीकगत कसक पुत्र के से क शक्य कनेकी निक्की एव/अन्तक निक्की/कि डैट राजन अधिकारी/अनुसूचित जाति कनेकी पुत्र जाली गिया तथा कनेकी कनेकी प्रमाण एव प्रस्तुत कता अन्तरगत होय कनेकी प्रमाण मता नय सामान्य संबंधे नक्कानेकी के कनेकन में अन्तकमाइ मानन पुत्र अन्तक कानर पर कनेकी कनेकी कनेकी काय रहेगी

5.3 कुरक

रुकि


Director Extension Education
OO Kamdhenu V. V. Durg


कुलसचिव
कस श्री वामुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
दुर्ग (छ.प्र.)

7.1. प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
 7.1.1. प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।
 7.1.2. प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

7.2. प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

7.3. प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

- 1. अंग्रेजी
- 2. भौतिक
- 3. रसायन

उक्त तीनों विषयों में भी छात्रों को प्रवेश करने के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

8. प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण :

प्रवेश के लिए नए छात्रों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

- (1) पी ई ई की ओर से जारी
- (2) 10वीं की अंकों की
- (3) 12वीं की अंकों की
- (4) प्रमाण पत्र
- (5) प्रमाण पत्र
- (6) प्रमाण पत्र
- (7) प्रमाण पत्र
- (8) प्रमाण पत्र
- (9) प्रमाण पत्र
- (10) प्रमाण पत्र
- (11) प्रमाण पत्र
- (12) प्रमाण पत्र
- (13) प्रमाण पत्र
- (14) प्रमाण पत्र
- (15) प्रमाण पत्र
- (16) प्रमाण पत्र
- (17) प्रमाण पत्र
- (18) प्रमाण पत्र
- (19) प्रमाण पत्र
- (20) प्रमाण पत्र
- (21) प्रमाण पत्र
- (22) प्रमाण पत्र
- (23) प्रमाण पत्र
- (24) प्रमाण पत्र
- (25) प्रमाण पत्र
- (26) प्रमाण पत्र
- (27) प्रमाण पत्र
- (28) प्रमाण पत्र
- (29) प्रमाण पत्र
- (30) प्रमाण पत्र
- (31) प्रमाण पत्र
- (32) प्रमाण पत्र
- (33) प्रमाण पत्र
- (34) प्रमाण पत्र
- (35) प्रमाण पत्र
- (36) प्रमाण पत्र
- (37) प्रमाण पत्र
- (38) प्रमाण पत्र
- (39) प्रमाण पत्र
- (40) प्रमाण पत्र
- (41) प्रमाण पत्र
- (42) प्रमाण पत्र
- (43) प्रमाण पत्र
- (44) प्रमाण पत्र
- (45) प्रमाण पत्र
- (46) प्रमाण पत्र
- (47) प्रमाण पत्र
- (48) प्रमाण पत्र
- (49) प्रमाण पत्र
- (50) प्रमाण पत्र
- (51) प्रमाण पत्र
- (52) प्रमाण पत्र
- (53) प्रमाण पत्र
- (54) प्रमाण पत्र
- (55) प्रमाण पत्र
- (56) प्रमाण पत्र
- (57) प्रमाण पत्र
- (58) प्रमाण पत्र
- (59) प्रमाण पत्र
- (60) प्रमाण पत्र
- (61) प्रमाण पत्र
- (62) प्रमाण पत्र
- (63) प्रमाण पत्र
- (64) प्रमाण पत्र
- (65) प्रमाण पत्र
- (66) प्रमाण पत्र
- (67) प्रमाण पत्र
- (68) प्रमाण पत्र
- (69) प्रमाण पत्र
- (70) प्रमाण पत्र
- (71) प्रमाण पत्र
- (72) प्रमाण पत्र
- (73) प्रमाण पत्र
- (74) प्रमाण पत्र
- (75) प्रमाण पत्र
- (76) प्रमाण पत्र
- (77) प्रमाण पत्र
- (78) प्रमाण पत्र
- (79) प्रमाण पत्र
- (80) प्रमाण पत्र
- (81) प्रमाण पत्र
- (82) प्रमाण पत्र
- (83) प्रमाण पत्र
- (84) प्रमाण पत्र
- (85) प्रमाण पत्र
- (86) प्रमाण पत्र
- (87) प्रमाण पत्र
- (88) प्रमाण पत्र
- (89) प्रमाण पत्र
- (90) प्रमाण पत्र
- (91) प्रमाण पत्र
- (92) प्रमाण पत्र
- (93) प्रमाण पत्र
- (94) प्रमाण पत्र
- (95) प्रमाण पत्र
- (96) प्रमाण पत्र
- (97) प्रमाण पत्र
- (98) प्रमाण पत्र
- (99) प्रमाण पत्र
- (100) प्रमाण पत्र

9.0. असाध्यों के लिए अर्थ एवं जानकारी

9.1. असाध्यों के लिए अर्थ एवं जानकारी

दिनांक

Director Extension Education
 P.O. Mahadhevi V. V. Durg

कुलसचिव
 वरिष्ठ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय
 दुर्ग (छ.ग.)

पी.ई.टी परीक्षा 2023 : प्रवेश नियम

दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनुविश्वविद्यालय, दुर्ग
दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकीमहाविद्यालय, रायपुर

महाविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम बी.टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी) में प्रवेश हेतु नियम

1. नाम -
2. प्रवेश नियम पी.ई.टी परीक्षा प्रवेश नियम 2023 महाराष्ट्र जो प्रयोगिक व्यावसायिक शिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। प्रवेश नियम बी.टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी), स्तरीय पाठ्यक्रम में घोषित हेतु लागू हैं।
3. महाविद्यालय, पाठ्यक्रम का नाम एवं संकेत
4. दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत एक संकाय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर एक ऐसा संकाय है। इस महाविद्यालय के निम्न विभागों द्वारा प्रौद्योगिकी, दुग्ध अभियांत्रिकी, दुग्ध विज्ञान, दुग्ध प्रसूत, शिक्षण व शोध विभागों के अंतर्गत 100 से अधिक छात्रों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रौद्योगिकी व प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है।
5. महाविद्यालय का पता - दुर्ग जिला एवं ए.टी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दुर्ग, महाराष्ट्र।
दूरभाष नम्बर: 482174
6. संपर्क - बी.टेक (डेयरी टेक्नोलॉजी)
7. आय - 4 लाख
8. 100 तक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम मातृक एवं आठवां
9. 100 तक नाम दिए जा सकते हैं।
10. महाविद्यालय का मुख्यालय -

M. J. J. J.
REGISTRAR
Dau Shri Vasudev Chandrakar
Kamdhenu Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

[Signature]
DEAN
College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

22) यह कि यह छात्रकक्षाओं में प्रचलित हो चुकने की वजह से इसे बंद करने का निर्णय किया जा रहा है।

23) भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के बीच सामूहिक परीक्षाएँ (Central Board of Secondary Education) व संयुक्त रूप से द्वितीय तहसील परीक्षाएँ (Council for the Indian School Certificate Examinations) में 10-12 की स्तर पर परीक्षाएं कराई जा सकेंगी।

24) अज्ञात संख्या में।

यह कि यह कि यह छात्रकक्षाओं में प्रचलित हो चुकने की वजह से इसे बंद करने का निर्णय किया जा रहा है।

25) यह कि यह छात्रकक्षाओं में प्रचलित हो चुकने की वजह से इसे बंद करने का निर्णय किया जा रहा है।

26) अज्ञात संख्या में।

27) यह कि यह छात्रकक्षाओं में प्रचलित हो चुकने की वजह से इसे बंद करने का निर्णय किया जा रहा है।

Dr. Anurag
REGISTRAR
Dr. Shri Vasudev Chandrakumar
Kamdhenu Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

(Signature)
Dean
College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR

12. एन. एम. एन. को 2023 की मुख्य अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु एन. एम. एन. को निम्न नीति में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

13. एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना के तहत अलग से एक अहंकारी योजना बनाकर 2023-24 के दौरान भी उसे अहंकारी योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

14. एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना के तहत अलग से एक अहंकारी योजना बनाकर 2023-24 के दौरान भी उसे अहंकारी योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

15. एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

16. एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

17. एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अथवा

(1) एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अथवा

(2) एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

एन. एम. एन. को अलग से एक अहंकारी योजना में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

अथवा

M. Ganesha
REGISTRAR
Dau Shri Vasudev Chandrakar
Kamdhenu Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

Dr. Anil
Dhan
College of Dairy Science And Food Technology
RAIPUR (C.G.)

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

संश्लेषण-1

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

संश्लेषण-2

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

संश्लेषण-3

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

M. J. ... 22/12/23
REGISTRAR
Jau Shri Vasudev Chandrakar
Kamdhenu Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

Appelhi
Dean
College of Dairy Technology and Food Processing
Kamdhenu Vishwavidyalaya

513. इस वर्ष की अद्यतितता का आकलन के लिये कुल 100 अंकों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक उत्तर के लिये 1 अंक असाइन किया जायेगा। प्रश्नों के उत्तरों में प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

514. यदि कोई छात्र किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

514. अध्यापक सहायक भवन

514. सभी प्रश्नों के उत्तरों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

514. इस वर्ष की अद्यतितता का आकलन के लिये कुल 100 अंकों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक उत्तर के लिये 1 अंक असाइन किया जायेगा। प्रश्नों के उत्तरों में प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

514. अध्यापक सहायक भवन के लिये कुल 100 अंकों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक उत्तर के लिये 1 अंक असाइन किया जायेगा। प्रश्नों के उत्तरों में प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

65. नमिका

यदि कोई छात्र किसी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

66. अध्यापक सहायक भवन

514. इस वर्ष की अद्यतितता का आकलन के लिये कुल 100 अंकों का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक उत्तर के लिये 1 अंक असाइन किया जायेगा। प्रश्नों के उत्तरों में प्रश्न के अर्थों में सुस्पष्टता और सटीकता का ध्यान देना होगा।

M. K. S.
22/12/22
REGISTRAR
Jau Shri Vasudev Chandrakar
Kamdhenu Vishwavidyalaya
Durg (C.G.)

[Signature]
Dean
College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

517. (a) ... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...

518. (a) ... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...

5. विचार समीक्षण

519. (a) ... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...

520. (a) ... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...

5.2.1. प्रतिष्ठा शेष, कार्मिक (शिक्षण/सुसज्जित) शैली;

... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...

5.3. सेवा प्रक्रिया

521. (a) ... प्रयोगशाला में ... प्रयोग ...


[Signature]

Dean
College of Dairy Science and Food Technology
RAIPUR (C.G.)

[Signature]
REGISTRAR
Dr. Shri Vasudev Chankirzi
Candheer Veterinary
Durg (C.G.)

- 82. ... 2022 के अधिनियम संशोधन के अन्तर्गत ...
- 83. ...
- 84. ...
- 85. ...
- 86. ...
- 87. ...
- 88. ...
- 89. ...
- 90. ...
- 91. ...
- 92. ...
- 93. ...
- 94. ...
- 95. ...
- 96. ...
- 97. ...
- 98. ...
- 99. ...
- 100. ...


 REGISTRAR
 D. S. Shri Vasudev Chandra
 Kamdhenu Vishwavidyalaya
 Durg (C.G.)


 Dean
 College of Dairy Science and Food Technology
 DURG (C.G.)

252. पूर्व विद्यमान ए. राधा कृष्णदेवी महविद्यालय, न. कल्याण, महाराष्ट्र में प्रशासक पदाधिकारी और
 अध्यक्ष श्री वि. सु. का. के अन्तर्गत आने वाले काल में श्री श्री-विश्वविद्यालय (राज्य) द्वारा
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' का निर्माण करने की शक्ति और अधिकार का अधिकार
 विद्यमान है। किन्तु 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से कोई भी
 शैक्षणिक संस्था का नाम नहीं रखकर विद्यार्थियों को भर्ना करने की शक्ति का प्रयोग
 नहीं किया जा सकता है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से कोई भी
 संस्था के नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

253. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अर्जित प्राप्त
 अंकों के अनुसार ही प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन के अन्तर्गत
 प्रवेश देने का अधिकार है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश
 परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अतः 'Kendhenu
 Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है।

254. ए. राधा कृष्णदेवी महविद्यालय के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है।

255. 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के
 अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार 'Kendhenu Vishwavidyalaya'
 के पास है।

256. 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है।

257. 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के
 अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार 'Kendhenu Vishwavidyalaya'
 के पास है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के
 आयोजन करने का अधिकार 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है।

258. 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है। अतः 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के
 अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार 'Kendhenu Vishwavidyalaya'
 के पास है।

259. 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के नाम से प्रवेश परीक्षा के आयोजन करने का अधिकार
 'Kendhenu Vishwavidyalaya' के पास है।

M. Sukum
 REGISTRAR
 2212
 Dau Shri Vasudev Chandrakar
 Kendhenu Vishwavidyalaya
 Durg (C.G.)

Deen
 College of Dairy Science and Food Technology
 RAIPUR (C.G.)

मान्य कुलप जी को प्रस्तावित विचारों को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा रहा है -

1. विज्ञान
2. शैक्षणिक
3. सामान्य

उपरोक्त विभागों में से प्रत्येक विभाग के अध्यक्षों के अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्षों को निम्नलिखित कार्य सौंपे जा रहे हैं -

1. प्रमाण पत्रों का लेबों के समय प्रस्तुतीकरण

प्रमाण पत्रों के लेबों का प्रस्तुतीकरण में संशोधित लेबों के माध्यम से प्रमाणित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी -

- (i) लेबों की संख्या
- (ii) लेबों की संख्या
- (iii) लेबों की संख्या
- (iv) लेबों की संख्या
- (v) लेबों की संख्या
- (vi) लेबों की संख्या
- (vii) लेबों की संख्या
- (viii) लेबों की संख्या
- (ix) लेबों की संख्या
- (x) लेबों की संख्या
- (xi) लेबों की संख्या

उपरोक्त विभागों के अध्यक्षों को निम्नलिखित कार्य सौंपे जा रहे हैं -

M. Kumar
 REGISTRAR
 Dr. Shri Vasudev Chandra
 Singh
 Raipur (C.G.)

Apathi
 Dean
 College of Dairy Science and Food Technology
 Raipur (C.G.)

91. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

92. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

93. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

94. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

95. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

96. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

प्रवेश विवरण

97. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

98. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

99. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध

100. अध्यापिका हेतु अन्य सर्व सुविधा उपलब्ध


REGISTRAR
Dau Shri Vasudev Chandrak
Kamdhenu Vishwavidya
Durg (C.G.)


Head
College of Dairy, Poultry and Food Technology
Durg (C.G.)

अटल नगर, दिनांक 11 मई 2023

अधिसूचना

क्रमांक/एफ-9-5/2023/तक.शि/42— राज्य शासन अपनी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा छत्तीसगढ़ संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मैसी (बी.फॉर्मैसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मैसी (डी.फॉर्मैसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार—

- (1) यह नियम "छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ फॉर्मैसी (बी.फॉर्मैसी) एवं डिप्लोमा फॉर्मैसी (डी.फॉर्मैसी) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम, 2023" कहलायेंगे।
- (2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होंगे।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें— इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा —

- (1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया।
- (2) 'पीसीआई' से अभिप्रेत है, फार्मैसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
- (3) 'संचालक' से अभिप्रेत है, संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस व्यक्ति से जो इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
- (5) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो।
- (6) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
- (7) 'पीपीएचटी' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा बी.फार्मैसी एवं डी.फार्मैसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट के निर्धारण के लिये ली जाने वाली राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्री फार्मैसी टेस्ट।
- (8) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।

3. प्रवेश हेतु आरक्षण— बैचलर ऑफ फॉर्मैसी एवं डिप्लोमा फॉर्मैसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।

4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता—

- (1) चार वर्षीय बी.फार्मैसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण। तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। बी.फार्मैसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है।

- (2) द्विवर्षीय डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।

तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैध्दातिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।

- (3) बैचलर आफ फॉर्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) में प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में द्विवर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा उपाधिधारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों एवं छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण।
5. प्रवेश हेतु सीटों में मैनेजमेंट एवं अल्पसंख्यक कोटा -
- (1) निजी संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
6. प्रावीण्यता सूचियाँ-
- (1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियाँ बनाई जाएंगी -
- (क) पीपीएचटी प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची पीपीएचटी में प्राप्तांकों के प्रतिशत के घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (ख) कक्षा 12वीं प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची 12वीं की परीक्षा में अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (ग) लेटरल एण्ट्री प्रावीण्यता सूची- यह प्रावीण्यता सूची डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा के अंतिम वर्ष के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बनाई जायेगी।
- (2) समान प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जायेगा।
7. काउंसिलिंग- सीटों के आबंटन हेतु काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। काउंसिलिंग कार्य हेतु शासन द्वारा काउंसिलिंग समिति का गठन किया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु शासन द्वारा निर्धारित गैर वापसी योग्य फीस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन जमा की जायेगी।
8. सीट आबंटन का क्रम-
- (1) बी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु- बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (2) डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु -
- (अ) डी. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
- (3) बी. फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु- बी. फार्मेसी (लेटरल एण्ट्री द्वितीय वर्ष) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा, और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती हैं, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ग) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-

- (1) काउंसिलिंग में किया गया रीट का आवंटन प्रविधिक हागा। काउंसिलिंग में संस्था एवं पाठ्यक्रम के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित संस्था में जाकर अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
 - (2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. **प्रवेश की अंतिम तिथि**— पीसीआई/संचालक द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी।
 11. **प्रवेश रद्द करना**— यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आवंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
 12. **कठिनाईयों का निराकरण**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में काउंसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
 13. **संशोधन**— छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
 14. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
 15. **निरसन एवं व्यावृत्ति** — इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, सचिव।

Atal Nagar, the 11th May 2023

NOTIFICATION

Number/F-9-5/2023/Tech.Edu/42.— The State Government acting upon its executive powers, hereby makes the following rules for admission in the institutions of Chhattisgarh for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs, namely:—

1. Short title and extent. -

- (1) These rules may be called "Admission Rules for Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs for Institutions of Chhattisgarh, 2023".
- (2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:

- (1) 'Chhattisgarh' means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01-11-2000 due to the notification of the Central Government;
- (2) 'PCI' means the Pharmacy Council of India, New Delhi;
- (3) 'Director' means the Director, Technical Education, Chhattisgarh, Nava Raipur, Atal Nagar;
- (4) 'Candidate' means a person, who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
- (5) 'Minority Institution' means such institution, which has been notified as a minority

- (6) 'Private Institution' means any Technical Educational Institution, which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
- (7) 'PPHT' means the Pre-Pharmacy Test, the State Level Common Entrance Examination, conducted by Chhattisgarh Professional Examination Board, Nava Raipur, Atal Nagar, for the purpose of determining the merit for admission to B.Pharmacy and D.Pharmacy programs;
- (8) 'Counselling Committee' means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.
3. **Reservations for Admission.** - The reservations for admission to the Bachelor of Pharmacy (B.Pharmacy) and Diploma in Pharmacy (D.Pharmacy) programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to this program.
4. **Educational Qualification for Admission.** -
- (1) For admission to the four-year B.Pharmacy degree program-passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biotechnology/Biology subjects as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board. For admission to B. Pharmacy, it is mandatory to have English as one of the subjects in class 12th.
- (2) For admission to two-year Diploma in Pharmacy program-passed the class 12th examination under the (10+2) education system, from a recognized board with Physics, Chemistry, and Mathematics/ Biotechnology/ Biology as compulsory three subjects, with at least 45% marks in these three main subjects for candidates belonging to unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disability of Chhattisgarh. It is also mandatory to pass all three main subjects separately (in theory and practical question papers) as per the rules of the concerned board.
- (3) For admission to Bachelor of Pharmacy (Lateral Entry Second Year)-passed two years Diploma in Pharmacy from a recognized Board/University/Institution with at least 45% marks for unreserved category, and 40% marks for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disability of Chhattisgarh.
5. **Management and Minority quota in seats for admission.** -
- (1) There shall be 15 percent seats under management quota in private institutions.
- (2) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribal and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.
6. **Merit Lists.** -
- (1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
- (a) PPHT Merit List - This merit list shall be prepared in descending order of the percentage of marks scored in PPHT.
- (b) Class 12th Merit List- This merit list shall be prepared in descending order on the basis of the percentage of aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biotechnology/Biology as compulsory three subjects in 12th examination.
- (c) Lateral Entry Merit List - This merit list shall be prepared in descending order on the basis of percentage of total marks obtained in the final year of Diploma in Pharmacy examination.
- (2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.

7. **Counselling.**- Counselling for allotment of seats shall be done through online process. A counselling committee shall be constituted by the government for counselling work. The non-refundable fee prescribed by the government for counselling shall be deposited online by the candidates.
8. **Order of seat allotment.**-
- (1) For admission to B.Pharmacy Program- Allotment of seats for admission to the B.Pharmacy program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (2) For admission to D. Pharmacy Program-
- (A) Allotment of seats for admission to the D. Pharmacy Program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates who are domicile of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (B) After allotment of the seats as per Clause (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates from outside the State of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that, if the seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
- (3) For admission to B. Pharmacy (Lateral Entry 2nd year) Program- Allotment of seats for admission to B. Pharmacy (Lateral Entry Second Year) program shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6, and even after that if seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from Outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (c) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
9. **Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.**-
- (1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the Institute and program in the counselling, the candidate shall have to go to the concerned Institute and get his/her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
- (2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/her admission shall be treated as cancelled.
10. **Last date of Admission.**- The date fixed by PCI/Director for admission shall be considered as the last date for admission.
11. **Cancellation of Admission.**- If it is found that any candidate has managed to get allotment/admission in any institution by furnishing false/incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/University during the course of his/her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. **Removal of Difficulties.** - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee shall be final.
13. **Amendment.**- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. **Interpretation.** - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. **Repeal and Savings.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.

परीक्षा निर्देश

PET/PPHT ENTRANCE EXAM -2023

B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology),
Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है –

- | | |
|---|---|
| 1. परीक्षा की तिथि (संभावित) एवं समय | – 25-06-23 (Sunday) |
| 2. 1. प्रथम पाली में (PET23) | – पूर्वान्ह 9:00 से 12:15 बजे तक |
| 2. द्वितीय पाली में (PPHT23) | – अपरान्ह 2:00 से 5:15 बजे तक |
| 3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | – 17-05-23 (Wednesday) |
| 4. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | – 08-06-23 (Thursday) रात्रि 11:59 बजे तक |
| 5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की सुविधा | – 09-06-23 to 11-06-23 |
| 6. व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि | 19-06-23 (Monday) |
| 7. परीक्षा केन्द्र : | – 30 जिला मुख्यालयों में |

महत्वपूर्ण टीप –

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा। परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में भरे हुए आवेदन में कोई त्रुटि सुधार की आवश्यकता है तो दिए गए दिवस में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर लें। त्रुटि सुधार हेतु दिए गए अंतिम तिथि के पश्चात् त्रुटि सुधार के सम्बंध में कोई भी आवेदन परीक्षा प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा। त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम को भली-भाँति पढ़ लें, आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।
- भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें।
- अभ्यर्थी अपना स्वयं का फोटो .jpg/.jpeg फॉर्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें)
- अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फॉर्मेट में फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 40 kb एवं न्यूनतम साइज 20 kb का हो, सेव कर रखें।
- कोविड 19 महामारी के कारण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी अभ्यर्थियों को करना अनिवार्य होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी

- पात्रता :-** आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय प्रवेश नियम में दी गई शर्तें पूरी करते हों। **मात्र आवेदन पत्र प्रेषित करना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।**

2. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी वेबसाइट के “Instructions to fill the FORM PET23 & PPHT23” लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त की जा सकती है ।

3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद अभ्यर्थी को भरे हुए आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु निम्न निर्देश दिया जाता है –

1. त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में व्यापम को भेजा गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
2. त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी “Track Application Status” में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन ID डालेगा। फिर Captcha Enter करेगा । तदुपरांत OTP उसके ई-मेल व मोबाइल पर उपलब्ध होगा । OTP प्रविष्ट करने के बाद अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन दिखेगा ।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में की गई प्रविष्टियों को सुधार सकता है।
4. **OMR उत्तरशीट में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जायेगी ।**
5. त्रुटि सुधार की सुविधा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद तक उपलब्ध रहेगी ।
6. परीक्षा उपरांत एवं परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के पूर्व एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा इसे प्राप्त करने के लिए इसी वेबसाइट में अपना 15 कैरेक्टर का Registration ID डालकर इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं । परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें । काउंसलिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा । एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

5. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं । साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं ।

6. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम वेबसाइट के “Syllabus for- PET23 & PPHT23” लिंक पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन कर लेवें, आवश्यक समझे तो प्रिंट आउट प्राप्त कर लिया जाये।

7. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

(अ) परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लायें—

- (1) परीक्षा प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) – ऑनलाइन से प्राप्त प्रवेश पत्र में यदि फोटो प्रिंट न हुआ हो तो दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें
- (2) नीला/काला डाटपेन ।
- (3) अभ्यर्थी अपने साथ मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसंस, पैन कार्ड, वोटर आई डी लेकर ही परीक्षा केन्द्र में आयेंगे जिससे कि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके । मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें वंचित किया जायेगा ।

- (4) अभ्यर्थी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- (5) परीक्षा केन्द्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

नोट— अभ्यर्थी के पास अन्य सामग्री जैसे सामान्य केलकुलेटर, लॉगटेबिल साइंटिफिक केलकुलेटर, पेपर, मोबाईल फोन आदि पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी का प्रकरण अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में दर्ज किया जावेगा।

(ब) परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

8. परीक्षा पद्धति :-

उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

9. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। इनमें से एक ही उत्तर सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर या सबसे उपयुक्त उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं अन्य उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य (Zero) अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जायेंगे उनके लिये भी शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जाएंगे। ऋणात्मक अंक (Negative Mark) नहीं दिये जाएंगे।

10. दावा/आपत्ति के निराकरण :-

परीक्षा सम्पन्न होने के बाद व्यापम द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र विश्लेषण पश्चात मॉडल उत्तर तैयार कराया जाता है तथा उसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी को व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा।) व्यापम द्वारा निर्मित व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में जाकर दावा आपत्ति पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जावेगा।

पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीयन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल URL के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। कृपया इसका भलीभाँति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लें।

नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति, पोर्टल पर स्वीकार नहीं होंगे। बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जावेगा। प्राप्त दावा/आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा। दावा/आपत्ति के सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही मान्य किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा। कितने भी प्रश्नों पर दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करने पर उन पर विचार किया जायेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण पश्चात निराकरण किया जाता है तथा मॉडल उत्तर में आवश्यक संशोधन या निरसन पश्चात अंतिम उत्तर तैयार किया जाता है, जिसे व्यापम के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है तथा उसी के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

11. त्रुटि पूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात् मॉडल उत्तर एवं दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो व कोई भी उत्तर सबसे उपयुक्त उत्तर न हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो।

5 मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय-विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र जिसमें कुल अंक 100 है, में से 03 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यर्थी 97 प्रश्नों में से 82 अंक प्राप्त करता है तो बोनस अंक सहित अंकों की गणना इस प्रकार होगी -

$$\frac{\text{कुल सही उत्तरों की संख्या} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{82 \times 100}{100 - 3} = 84.536$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

12. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर रैंकिंग सूची घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

13. अंकसूची :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परिणाम घोषित करने के उपरांत अभ्यर्थी अंकसूची व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं ।

14. पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है ।

15. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

16. परीक्षा शहर एवं कोड नंबर-

क्र.	परीक्षा का शहर का नाम	-	कोड नंबर
1.	अम्बिकापुर (सरगुजा)	-	11
2.	बैकुण्ठपुर (कोरिया)	-	12
3.	बिलासपुर	-	13
4.	दंतेवाड़ा	-	14
5.	धमतरी	-	15
6.	दुर्ग	-	16
7.	जगदलपुर (बस्तर)	-	17
8.	जांजगीर-चांपा	-	18
9.	जशपुर नगर	-	19
10.	कांकेर	-	20
11.	कबीरधाम (कवर्धा)	-	21
12.	कोरबा	-	22
13.	महासमुंद	-	23
14.	रायगढ़	-	24
15.	रायपुर	-	25
16.	राजनांदगाँव	-	26
17.	बीजापुर	-	27

18.	नारायणपुर	—	28
19.	गरियाबंद	—	29
20.	बलौदा बाजार—भाटापारा	—	30
21.	बालोद	—	31
22.	बेमेतरा	—	32
23.	मुंगेली	—	33
24.	कोण्डागॉव	—	34
25.	सूरजपुर	—	35
26.	बलरामपुर	—	36
27.	सुकमा	—	37
28.	गौरैला—पेण्ड्रा—मरवाही	—	38
29.	मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी (एम.एम.ए.)	—	39
30.	सक्ती	—	40

17. परीक्षा समन्वयक केन्द्रों के नाम —

क्र.	जिला	महाविद्यालय का नाम	फोन नंबर
1.	अम्बिकापुर	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774—230921
2.	बैकुण्ठपुर	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836—232252
3.	बिलासपुर	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव, स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर,	07752—246430
4.	दंतेवाड़ा	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856—240087
5.	धमतरी	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722—237933
6.	दुर्ग	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा., दुर्ग	0788—2211688
7.	जगदलपुर	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782—229340
8.	जांजगीर—चांपा	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर—चांपा	07817—222240
9.	जशपुर नगर	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763—223539
10.	कांकेर	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868—222028
11.	कबीरधाम	आचार्य पंथ श्री गृधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741—232496
12.	कोरबा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759—221458
13.	महासमुंद	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723—222048
14.	रायगढ़	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762—222966
15.	रायपुर	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771—2263131
16.	राजनांदगाँव	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाँव	07744—225036
17.	बीजापुर	शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर	94242—93022
18.	नारायणपुर	शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर	94252—98192
19.	गरियाबंद	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	94077—30011
20.	बलौदा बाजार—भाटापारा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बलौदा बाजार—भाटापारा	94255—23895
21.	बालोद	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालोद	94256—38175
22.	बेमेतरा	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बेमेतरा	94241—28570
23.	मुंगेली	शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली	94255—43065
24.	कोण्डागॉव	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागॉव	94255—95895
25.	सूरजपुर	शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर	07775—266657
26.	बलरामपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	98268—79840
27.	सुकमा	शासकीय महाविद्यालय, सुकमा	94252—60241
28.	गौरैला—पेण्ड्रा—मरवाही, शा. भंवर सिंह पोर्ते, स्नातकोत्तर महा., पेण्ड्रा		9993825510
29.	मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौकी	शासकीय महाविद्यालय, मोहला—मानपुर—अम्बागढ़ चौक	94255—93004
30.	सक्ती	शासकीय महाविद्यालय, सक्ती	94241—58552

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर

PHYSICS

UNIT – 1 MEASUREMENT:

Units and dimensions, Fundamental and derived units, Dimensional analysis, S.I. Units.

UNIT – 2 KINEMATICS

Linear motion in one and two dimensions, Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation among position and velocity, Uniform circular motion.

UNIT – 3 FORCE AND LAWS OF MOTION:

Force and inertia, Newton's law of motion, Conservation of momentum and energy Static and Kinetic friction, Uniform Circular motion.

UNIT – 4 WORK ENERGY AND POWER

Work done by force, energy, power, Elastic collisions, Potential energy, Gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy, Potential energy of a spring.

UNIT – 5 ROTATIONAL MOTION AND MOMENT OF INERTIA

Rigid body rotation, couple, torque, angular momentum conservation of its momentum, Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis, (Moment of inertia of uniform ring, disc thin rod and cylinder only).

UNIT – 6 GRAVITATION:

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, motion of satellites, escape velocity., Synchronous satellite and polar satellite.

UNIT – 7 PROPERTIES OF SOLID AND FLUIDS:

Elasticity, Hook's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, fluid pressure, atmospheric pressure, viscosity of fluids, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

UNIT – 8 HEAT AND THERMODYNAMICS:

Heat, Temperature, Thermometers, Specific heats at constant volume and constant pressure, Mechanical equivalent of heat isothermal and adiabatic processes.
Heat conduction in one dimension. Convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling, Zeroth, First and Second law of thermodynamics.

UNIT – 9 OSCILLATION:

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations in spring, Laws of simple pendulum.

UNIT – 10 WAVES

Transverse and longitudinal wave motion, Speed of sound, principle of super position, progressive and stationary waves, beats and Doppler effect.

UNIT – 11 LIGHT:

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, velocity of light and Doppler's effect in light, Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae, Dispersion in prism, absorption and emission spectra, Optical instruments. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

UNIT – 12 MAGNETISM

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer, Paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substances.

UNIT – 13 ELECTROSTATICS

Coulomb's law of electrostatics, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in simple geometric. Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

UNIT – 14 CURRENT ELECTRICITY

Electric current, Ohm's law, Kirchoff's laws, resistances in series and parallel, temperature dependence of resistance, wheat stone bridge, and potentiometer. Measurement of voltages and currents.

UNIT – 15 EFFECT OF ELECTRIC CURRENT

Magnetic thermal and chemical effect of current, Electric power heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity, Biot-Savart law, Magnetic fields due to a straight wire, circular loop and solenoid. Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents; moving galvanometer, ammeter and voltmeter.

UNIT – 16 ELECTROMAGNETIC INDUCTION AND ALTERNATING CURRENT:

Magnetic flux, Electromagnetic induction induced emf Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance, Alternating currents impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

UNIT – 17 ELECTRON , PHOTON AND RADIO ACTIVITY:

' e ' and ' e/m ' for an electron, photon, Einstein's photoelectric equation, photocells. Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Mass-energy relation, fission, X-Ray : properties and uses.

UNIT – 18 SEMICONDUCTOR:

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi-conductors, Diode, transistor, oscillator, digital circuit and logic gates.

CHEMISTRY (PHYSICAL CHEMISTRY)

UNIT – 1 ATOMIC STRUCTURE:

Constitution of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers aufbau principle electronic configuration of elements (upto-Kr): De-Broglie relation, shapes of orbital.

UNIT – 2 CHEMICAL BOND

Electrovalent covalent and co-valent bonds, hybridization (sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory): bond polarity resonance, Elements of VBT.

UNIT – 3 SOLUTIONS:

Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, and abnormal molecular weights.

UNIT – 4 SOLID STATE :

Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds close packed structure, Ionic radii, imperfections (Point defects) : properties of solids.

UNIT – 5 NUCLEAR CHEMISTRY:

Radio active radiations : Half-life, radioactive decay, group displacement law, structure and properties of nucleus : Nuclear reactions, disintegration series, artificial transmutation : Isotopes and their uses : Radio-carbon dating.

UNIT – 6 CHEMICAL EQUILIBRIUM:

Chemical equilibrium, Law of mass action K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications.

UNIT – 7 IONIC EQUILIBRIUM:

Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts : pH : buffers.

UNIT – 8 THERMOCHEMISTRY AND THERMODYNAMICS:

Energy changes during a chemical reaction intrinsic energy, enthalpy; First law of thermodynamics : Hess's law, heats of reactions; Second law of thermodynamics; entropy; free energy; spontaneity of a chemical reaction, free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.

UNIT – 9 CHEMICAL KINETICS:

Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant-expression and characteristics, Arrhenius equation.

UNIT – 10 ELECTROCHEMISTRY:

Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods, Electrolytic conduction, Faraday's laws: voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials, Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

UNIT – 11 SURFACE CHEMISTRY:

Colloids and Catalysis, Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Catalysis: Types and characteristics.

INORGANIC CHEMISTRY

UNIT – 12 PRINCIPLES OF METALLURGICAL OPERATIONS:

Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

UNIT – 13 CHEMICAL PERIODICITY:

s, p, d, and f-block elements, periodic Table, periodicity, atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity, electro negativity, metallic character.

UNIT – 14 COMPARATIVE STUDY OF ELEMENTS:

Comparative, study of the following families of element: (i) Alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

UNIT – 15 TRANSITION METALS:

Electronic configuration of 3rd Metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

UNIT – 16 CO-ORDINATION COMPOUND :

Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.

UNIT – 17 CHEMICAL ANALYSIS:

Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis; calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY

UNIT –18 CHEMISTRY OF HYDRO CARBON:

Calculation of empirical and molecular formulae of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups, isomerism, Structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

UNIT – 19 - Preparation, properties and uses of alkanes, alkenes and alkynes, benzene, petroleum, cracking, octane number, gasoline additives.

UNIT – 20 ORGANIC COMPOUNDS BASED ON FUNCTIONAL GROUP CONTAINING NITROGEN:

Nomenclature, methods preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of Nitro, Amino, Cyana and Diazo compounds.

UNIT – 21 ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING ORGANIC OXYGENS:

Nomenclature, methods preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives.

UNIT –22 CHEMISTRY IN DAILY LIFE

Polymers: Classification, method of preparation, properties and uses of polymers, Dyes: Classification, Structure of some important dyes, Chemistry of Drug: Introduction and classification, Chemotherapy, Importance of drug (Antipyretic, Antiseptic, Antibiotic, Anesthetics), Chemistry in food, cosmetics and detergents.

UNIT – 23 BIOMOLECULES:

Classification, Structures and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

MATHEMATICS

UNIT – 1 ALGEBRA:

Algebra of complex numbers, Graphical representation of complex numbers, modulus and argument of complex numbers, Square root of a complex number, Triangular inequality. Cube roots of unity. Arithmetic, geometric and harmonic progression, Arithmetic geometric and harmonic means between two numbers. Sum of squares and cubes of first Natural numbers. Quadratic equations, relations between roots and coefficients, permutations and combinations, binomial Theorem (any index) exponential and logarithmic series. Determinants up to third order and their order and their elementary properties Matrices types of matrices, ad joint and inverse of matrix, elementary properties of matrices. Partial fraction. Application in solving simultaneous equations up to three variables.

UNIT – 2 TRIGONOMETRY:

Trigonometry functions and their graphs, addition and subtraction Formula involving multiple and submultiples angles, general solutions of triangles equations, Relations between sides and angles of a triangles, Solutions of triangles, inverse; trigonometrically functions, height and distance (Simple Problems).

UNIT – 3 CO-ORDINATE GEOMETRY OF TWO DEMENSIONS:

Rectangular Cartesian co-ordinates, Straight-line pair to straight line, distance of a point from a line angle between two lines.

Circle, tangents and normal system of circles.

Conic section Parabola, Ellipse and Hyperbola in standard forms with elementary, properties tangents and normal.

UNIT – 4 CO-ORDINATE GEOMETRY OF THREE DIMENSIONS:

Rectangular co-ordinate system, Direction cosine and direction ratios, equation of plane in standard forms.

Perpendicular distance from a point, equation of a line angle between two lines.

UNIT – 5 VECTOR ALGEBRA:

Definition of vector, addition of vectors, Components in three dimensional space, Scalar and vector products. Triple products, Simple application in geometry and mechanics.

UNIT – 6 DIFFERENTIAL CALCULUS:

Function polynomial, rational trigonometric, logarithmic and exponential. Inverse function, Limit continuity and differentiability of functions, differentiation of rational, trigonometric and exponential functions. Application of derivative in elementary problems in mechanics increasing and decreasing functions. Maxima and Minima of function of one variable. Roll's theorem and mean value theorem.

UNIT – 7 INTEGRAL CALCULUS:

Integrations as the inverse process of differentiations, Integration by the parts, by substitution and by partial fraction. Definite integral, Areas under simple curves.

UNIT – 8 DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Formulation of differential equation, order and degree, Solutions of differential equations by separation of variable method. Homogeneous linear differential equation of first order.

UNIT – 9 STATISTICS:

Probability addition and multiplication laws, conditional probability, binomial distribution, Simple problems in correlation and regression.

UNIT – 10 NUMERICAL METHODS:

Solution of equation by the methods of bisection, false-positions and Newton-Raphson. Numerical integration by trapezoidal and Simpson's Rule.

UNIT – 11 INFORMATION TECHNOLOGY:

Basics of computer and its operations, Functional components, main parts of computer, Input devices, Output devices and Secondary storage devices, System software, Utility software, Application software.

Scheme of Examination

Subject	No. of question	Total marks
Physics	50	50
Chemistry	50	50
Mathematics	50	50
Total	150	150
As per the syllabus		

भौतिकी (Physics)

Units and dimensions, Dimensional analysis, S.I. Units, motion in two dimensions. Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation among position and velocity. Uniform circular motion, Force and inertia, Newton's laws of motion . conservation of momentum and energy Static and kinetic friction . Work energy and power, Elastic collisions . Potential energy , Gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring . Rigid body rotation and conservation of its momentum, Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis, (Moment of inertia of uniform ring, disc thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation. Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats at constant volume and constant pressure, Mechanical equivalent of heat isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension. convection and radiation. Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion principle of super position. progressive and stationary waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light. Interference, Young's double slit experiment, velocity of light and Doppler's effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

'e' and 'e/m' for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Mass-energy relation, fission, X-Ray : properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi-conductors, pn junction as a rectifier.

Bar magnet. lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatics, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in simple geometrics

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors, capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchoff's laws, resistances in series and parallel, temperature dependance of resistance, wheat ston bridge, potentiometer.

Measurement of voltages and currents.

Electric power heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity, Biot-Savart law, Magnetic fields due to a straight wire, circular loop and soienoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents; moving galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf Faraday's law. Lenz's law, self and mutual inductance. Alternating currents impedance and reactance growth and decay of current in L-R curcuit, elementary idea of dynamo and transformer.

रसायन (CHEMISTRY)

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

1. Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers aufbau principle electronic configuration of elements (upto-kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals.
2. Chemical bond : Electrovalent covalent and co-ordinate bonds, hybridisation (sp): hydrogen bond : shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity resonance. Elements of VBT a M.O.T.
3. Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions : Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.
4. Solid State : Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds close packed structure Ionic radii, imperfections (Point defects) : properties of solids
5. Nuclear chemistry: Radio active radiations: Half-life, radioactive decay, group displacement law, Structure and properties of nucleus : Nuclear reactions, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses: Radio-carbon dating.
6. Chemical equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action K_p and K_c : Le-Chatelier principle and its applications.
7. Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH: buffers.
8. Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction intrinsic energy, enthalpy; First law of thermodynamics : Hess's law Heats of reactions; Second law of thermodynamics; entropy ; free energy; spontaneity of a chemical reaction, free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.
9. Chemical Kinetic : Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant-expression and characteristics, Arrhenius equation.
10. Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods, Electrolytic conduction, Faraday's laws: voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibbs's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.
11. Surface chemistry, Colloids and Catalysis-, Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles Catalysis: Types and characteristics.

INORGANIC CHEMISTRY:

12. Principles of metallurgical operations: Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.
13. Chemical periodicity: s,p,d. and f-block elements, periodic Table, periodicity, atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity, electronegativity, metallic character.
14. Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) Alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.
15. Transition metals : Electronic configuration of 3rd-Metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, potassium permanganate, potassium dichromate.
16. Co-ordination compounds : Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.
17. Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis : calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY

18. Calculation of empirical and molecular formulae of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups, isomerism, Structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.
19. Preparation properties and uses of alkynes, alkenes and alcohols, benzene petroleum, cracking, octane number, gasoline additives.
20. Nomenclature. Physical Chemical properties, correlation of physical properties with structures and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols : General ideas of some polyhalogen compounds viz. dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride, D.D.T., benzene, hexachloride.
21. Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties, correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives. Brief account of the chemistry of Cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.
22. Polymers Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.
23. Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates, amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids

गणित (MATHEMATICS)

1. **ALGEBRA:** Algebra of complex numbers. Graphical representation complex numbers. moduls and argument of complex numbers, conjugated of a complex number Triangle inequality. Cube roots of unity. Arithmetic, geometric and harmonic progression Arithmetic geometric and harmonic means between two numbers. Sum of squares and cubes of first Natural numbers. Theory geometric equations relations between roots and coefficients. Quadratic expressions, quadratic equations in one variable, permutations and combinations, binomial Theorem (any index) exponential and logarithmics series. Determinants upto third order and their order and their elementary properties Matrices types of matrices, adjoint and inverse of matrix, elementary properties of matrices. Application in solving simultanceous equations upto three variables.
2. **TRIGONOMETRY :** Trigonometry functions and their graphs, addition and subtraction Formula involving multiple and submultiples angles, general solutions of triangles equations, Relations between sides and angles of a triangles. Solutions of triangles, inverse; trigonometrical functions, height and distance (Simple Problems).
3. **CO-ORDINATE GEOMETRY OF TWO DIMENSIONS :** Rectangular Cartesian co-ordinates. Straight line pair to straight line, dislance of a point from a line angle between two lines.
Circle, tangents and normal system of circles.
Conic section Payabola Ellipse and Hyperbola in standard forms with elementary. properties tangents and normals.
4. **CO-ORDINATE GEOMETRY OF THREE DIMENSIONS :** Rectangular co-ordinate system, Direction consines and direction ratios, equation of place in standard forms. Peypendicular distance from a point equation of a line angle between two lines.
5. **VECTOR ALGEBRA :** Definition of vector , addition of vectors. Components in three dimensional space. Scalar and vector products. Triple products. Simple application in geometry and mechanics.
6. **DIFFERENTIAL CALCULUS :** function polynomial, rational trigonometric, logarithmic and exponential. Inverse function, Limit continuity and differentiability of functions, differentiation of rational. trigonometrie and exponential functions. Application of derivative in elementary problems in mechanics increasing and decreasing functions. Maxima and Minima of function of one variable. Roll's theorem and mean value theorem.
7. **INTEGRAL CALCULUS :** Integrations as the inverse process of differentiation. Integration by parts. By substitution and by partial fraction. Definite integral. Areas under simple cures.
8. **DIFFERENTIAL EQUATIONS :** Formulation of differential equation, order and degree. Solution of differential equations by separation of variable method . Homogeneous form Linear differential equation of first order.
9. **STATISTICS :** Probability addition and multiplication laws. conditional probability. binomial distribution Simple problems in correlation and regression.
10. **NUMERICAL METHODS :** Solution of equation by the methods of bisection, false-position and Newton-Raphson. Numerical integration by trapezoided and Simpsons's Rule.
11. **LINEAR PROGRAMMING :** Definition and formation of linear programming problems. Solution by graphical method.

जीव विज्ञान (BIOLOGY)

वनस्पति विज्ञान (BOTANY) (भाग - 1)

Structural Organisation of cell, theory : Light and Electron Microscopic view of cell Structure and functions of cell organelles : Nucleus, Mitochondria. Chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, microbodies, microfilaments. Ribosomes. Centrioles, and plasmids. Eukaryotic Chromosome (Morphology) cell and plasma membrane. Differences between plant and animal cell Cell Division, Cell cycle significance of Mitosis and Meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; Linkage and crossing over of genetic material; DNA replication, genetic code, transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and Eukaryotes; Structure, reproduction and economic importance of viruses, Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five kingdom classification; Binomial nomenclature; External morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus.

Elementary knowledge of Microsporogenesis, megasporogenesis, Fertilisation, endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissue and tissue systems. Meristematic and permanent tissue. Mineral nutrition essential elements and their functions. Uptake of minerals transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration-Importance, mechanism and factors affecting these processes; photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action and importance, Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem-Structure and function; Major ecosystems i.e. Lake and Forest; Food chain. Food Web and Energy flow. Ecological crisis-Role of man in Polluting Environment-Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare : A general knowledge of plant products of economic value-Drugs, Fibers, cereals

(Wheat and Rice) Pulses (gram), Oil Seeds (Ground nut). Sugarcane, Coal and Petroleum.

Food preservation Methods and importance.

Principles of plant breeding and its role in improvement of crops. Biotechnology; scope and importance in Agriculture and Industries Manufacture of cheese, Yoghurt Alcohol Antibiotics.

प्राणीशास्त्र (ZOOLOGY) (भाग-2)

Multicellularity-Structure And Functions of Animal Life :

- Structure and function of Animal tissues-Epithelial, Connective, Muscular, Skeletal and Nerve.
- Histology of Mammalian organs- Stomach, Intestine, Liver Kidney, Lung, Testis and Ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of Human body-skin, Digestive System, Respiratory System, Circulatory System, Excretory system, Nervous system, Reproductive system.
- Skeleton, joints, Muscles on the basis of movement, Receptors.
- Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and Hormonal co-ordination Vitamin & minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of Sperm and ovum.
- Types of eggs. Fertilization, cleavage, types of cleavage and blastula. Development of mammals upto three germinal layers, Foetal membranes-Structure and functions in mammals.
- Growth, repair and ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, Human Karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes. Hormonal, Chromosomal and Genic balance theory of sex determination. Sex linkage and Sex linked inheritance in Man.
- Blood Groups and their significance, Blood bank.
- Tissue culture, Genetic engineering (Brief idea). Mutation, gene mutation.
- Human population-Natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics Of human life with respect to food supply, housing, health and standard of living impact of population, problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification-Binominal and trinominal nomenclature, Basic features of classification.
- Classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- ORIGIN OF LIFE. Theories of Organic evolution-Darwin, Lamarck, Synthetic. Evidences of organic evolution. Human evolution.
- Economic Zoology' Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, fishery and peral industry.
- Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer-types of cancer and cancer cell.
- Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune Response, Vaccines and antisera, Allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control.
- Wild life conservation.
- pesticides-Uses, advantages and hazards.



PET/PPHT ENTRANCE EXAM -2023

B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology),
 Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले निम्न बिन्दुओं पर अवश्य ध्यान दें

1. आवेदनियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल एंजीकरिंग की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल एंजिनेरिंग (एंजीकरिंग) करने के बाद परीक्षा विधियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदकों को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी इनके प्रोफाइल एंजीकरिंग से स्वयं ही जायेगी। इससे त्रुटि की संभावना कम होगी।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ इकाई की आर. एम.ओ.पी. स्थानीय निवृत्त आदि संबंधी फोटो एवं नई लिए जा रहे हैं। इकाई के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षा कालीसिजिंग के दौरान ही जांच। इकाई द्वारा की गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण स्वतंत्रता रखना रुकना होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु इकाई को समय दिया गया है। परीक्षा दिनांक के दिन ओ.एम.आर./OMR स्वर्स्टीट पर त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन पत्र की प्रोब्लिमों के कारण पर परीक्षा परेगम जारी किया जायेगा। त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी के भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. आवेदन करने के पूर्व विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों को ध्यान से पढ़ें।
5. आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सौंपित करने के बाद सूचना इसका विवरण आपने पास आवेदन के साथ रखा है।
6. व्यापम के वेबसाइट: vyapam.cgstate.gov.in में ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु आवेदकों अपना नाम का फोटो .jpg/.jpeg फॉर्मेट में स्कैन कर कर प्रोफाइल के रूप में रखा। जिसका अधिकतम साइज 60 kb एवं न्यूनतम साइज 40 kb का हो, सेंग कर रखा। फिडल का नाम अल्पवर्णमयिक में रखा, जिस में अक्षर तथा संकेत का प्रयोग न करें, साथ ही इकाई अपने नाम के अक्षरों का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग .jpg/.jpeg फॉर्मेट में प्रोफाइल के रूप में रखा। जिसका अधिकतम साइज 40 kb एवं न्यूनतम साइज 20 kb का हो, सेंग कर रखा, जिसे आवेदन पत्र (फॉर्म) में अपलोड किया जा सके।
7. आवेदन फॉर्म भरने से पहले फॉर्म में आवश्यक जानकारियों एक फोटो फाउंड में लिख कर तैयार रखा एवं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद यह सुनिश्चित कर लेने कि की गई सभी जानकारियों सही है।
8. आवेदन के E-mail (ई मेल) आईडी जैना आसक्त है। अथ आपन E-mail सफल होकर रखा है।
9. अथ रखा के इकाई व्यापम के Home Page के Check Transaction Status में भी Registration ID नम्बर अपने आवेदन पत्र की लिपिके रखा है, जिससे आप सुनिश्चित हो सके कि आवेदन आवेदन पत्र शुल्क के भुगतान में पहुँच गया है। इसी Registration ID नम्बर के आधार पर नईस विधियों के अंतर्गत हार्ड कॉपी वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर परीक्षा के पूर्व जोड़ मिले जायेगी जिससे से विवरण प्राप्त कर आप परीक्षा में शामिल हो सकेगे।



PET/PPHT ENTRANCE EXAM -2023

B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology),
Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy

मोबाइल रजिस्ट्रेशन (मंजीकरण) फॉर्म

अभ्यर्थी स्वयं के संबंध में बिन्दुवार मांगी गई जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें, जो निम्नानुसार है :-

1. Mobile No. Verification- अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर अंकित करें ।
2. First Name, Middle Name & Last Name.- अभ्यर्थी अपना नाम अंकित करें ।
3. Create Password - अभ्यर्थी अपना पासवर्ड अंकित कर, पासवर्ड की पुष्टि करें ।
4. Basic Information – में अभ्यर्थी स्वयं की मूलभूत जानकारी अंकित करें ।
5. Candidate`s Name- अभ्यर्थी अपना नाम अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में लिखें ।
6. Relative`s Type- अभ्यर्थी अपने रिश्तेदार का प्रकार का चयन करें, उसी अनुसार Father/Mother/Husband–(पिता, माता, पति) में किसी एक को सेलेक्ट करें । उपरोक्तानुसार नाम में से संबंधित के नाम को केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/श्रीमती/स्व. आदि न लिखें।
7. Relative`s Name – रिश्तेदार का नाम के साथ माता का नाम भी केपिटल अक्षर में लिखें। नाम के पहले श्री/श्रीमती/स्व. आदि न लिखें।
8. Gender में (लिंग) पुरुष, महिला या तृतीय लिंग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें।
9. Date of Birth- जन्मतिथि को (दसवीं की अंकसूची में दर्शाये अनुसार) दिनांक, माह एवं वर्ष में ड्राप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करें । (जैसा कि 27 दिसंबर 1987 को दिनांक के बॉक्स में 27, माह के बॉक्स में दिसंबर एवं वर्ष के बॉक्स में 1987 सेलेक्ट करें)
10. Domicile of Chhattisgarh: (छत्तीसगढ़ के निवासी)– यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो हाँ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।
11. Family Yearly Income: अभ्यर्थी पारिवारिक वार्षिक आय का उल्लेख करें ।
12. कृपया अपना स्वयं का फोटो अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
13. कृपया अपना हस्ताक्षर का फोटो भी अपलोड करें । (40kb to 60 kb)
14. Are you Person with Disability (PWD) में (दिव्यांग वर्ग) क्या आप दिव्यांग वर्ग से संबंधित है ? Yes या No सेलेक्ट करें।
15. Other Information/अन्य जानकारी – Nationality/नागरिकता अभ्यर्थी नागरिकता का चयन करें ।
16. Category (Caste)- में वर्ग जिससे आप संबंधित हैं, सेलेक्ट करें।
17. District Domicile- (स्थानीय जिला निवासी)– आप जिस जिले के स्थानीय निवासी हैं, उस जिले का चयन करें ।
18. Marital Status: (वैवाहिक स्थिति) – यदि आप विवाहित है तो हाँ Yes अन्यथा नहीं No को सेलेक्ट करें ।
19. Email Id- प्रत्येक आवेदक का ईमेल आई.डी होना अनिवार्य है । यदि नहीं है तो अपना ईमेल आई.डी. अवश्य बना लें तथा इस वैध ईमेल आई डी को इस खंड में अंकित करें । पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एडमिट कार्ड या कोई भी जानकारी नहीं भेजी जावेगी।
20. Mobile No.- में अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर के पहले शून्य (0) न लिखें ।

21. **Present Address/** - वर्तमान पता – अभ्यर्थी अपना डाक का पता को **House No.** में मकान नंबर (यदि हो तो) **Street Name** में सड़क/मोहल्ला का नाम, **City/Village** में शहर/गाँव का नाम, **State** में राज्य का नाम, **District** में निवास जिले का नाम सेलेक्ट करें। पिन में अपने डाकघर का पिन कोड अंकित करें। **Permanent Address/स्थाई** पता वर्तमान पते के समान होने पर उपरोक्तानुसार अंकित करें ।
22. **Declaration-** (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –
“ मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ । मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है । यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।”
23. **I Agree—/**(मैं सहमत हूँ) –इसमें उपरोक्त **Declaration** घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें ।
24. **Captcha/कृपया कैप्चा** को दर्ज करें ।
25. **इसके पश्चात Submit** में क्लिक करें ।

.....



PET/PPHT ENTRANCE EXAM -2023

B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology),
Diploma in Dairy Technology (DDT), B. Pharmacy, D. Pharmacy

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि

Application Form में क्लिक करते ही “ON LINE APPLICATION FOR
PET23 and PPHT23 का एक पेज खुलेगा” जिसमें दी गई जानकारी
अनुसार कार्य करें ।

- ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र नहीं लिए जा रहे हैं । अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण काउंसिलिंग के दौरान की जाएगी । अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा । इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा ।
- ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि को फार्म जमा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं । इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी 03 दिवस का समय दिया जायेगा । परीक्षा दिवस को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर कोई त्रुटि सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
- आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें ।

Exam Applied For : (आवेदित परीक्षा) –

आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं, कृपया निम्न में से उसे चयन करें–

- PET- B.E./ B.Tech., B.Tech (Agriculture Engineering), B.Tech. (Food Tech.), B.Tech (Dairy Technology), Diploma in Dairy Technology (DDT),
- PPHT- B. Pharmacy, D. Pharmacy

बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–

1. बी.टेक. के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा, अभातशिप द्वारा निर्धारित मुख्य तीन विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण । तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है अथवा बी. टेक के प्रमुख विषय क्षेत्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को डिप्लोमा वोकेशनल मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अभातशिप द्वारा निर्धारित उसी या संबद्ध विषय क्षेत्र में उत्तीर्ण ।

बैचलर ऑफ फॉर्मसी (बी. फॉर्मसी टेक.) एवं डिप्लोमा फॉर्मसी (डी. फॉर्मसी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता–

1. चार वर्षीय बी. फॉर्मसी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिक, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के

अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण । तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है ।
बी. फॉर्मसी में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं में एक विषय अंग्रेजी होना अनिवार्य है ।

2. द्विवर्षीय डिप्लोमा फॉर्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य तीन विषयों के रूप में भौतिक, रसायन एवं गणित/जैवप्रौद्योगिकी/बायोलॉजी विषय के साथ इन तीनों मुख्य विषयों को मिलाकर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कम से कम 45 प्रतिशत एवं छ.ग. के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण । तीनों मुख्य विषयों में संबंधित बोर्ड के नियमानुसार (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में) पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है ।

Choose Subject Group for Pre. Pharmacy Test (PPHT) Entrance Examination-
(PPHT हेतु आप जिस समूह में परीक्षा देना चाहते हैं, उसे चुनें)

- BIOLOGY GROUP (PCB)
 MATHS GROUP (PCM)

टीप – Basic Information/मूलभूत जानकारी, Other Information/अन्य जानकारी, Present Address स्वयं से आपके द्वारा दी गई प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से आ जायेगी ।

Exam city- जिस शहर में परीक्षा देने चाहते हैं का चयन करें ।

For Physically Handicapped Candidate : Do you need to scribe (Writer) ?-

(क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है ?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

Class/ श्रेणी-

Do you belong any class ?- (क्या आप किसी वर्ग से सम्बंधित हैं ?)

Yes या No में से सेलेक्ट करें।

Freedom Fighter (FF)

Sainik Varg (S)

Krishak (KR)

आप जिस वर्ग से संबंधित है, उसे सेलेक्ट करें।

Declaration- (घोषणा) – इसमें यह दिया गया है कि –

“मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम, श्रेणी, वर्ग, जन्मतिथि, डाक पता एवं अन्य दी गई सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है, जिसके सत्यतापूर्वक और सही होने की मैं घोषणा करता/करती हूँ । मैंने विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियमों एवं व्यापम के नियमों को पढ़ा है एवं समझा है । यदि ऊपर दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिये बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।”

I Agree- / (मैं सहमत हूँ) – इसमें उपरोक्त Declaration घोषणा को पढ़कर समझने के बाद अपनी सहमति प्रकट करते हुए सहमत हूँ पर क्लिक करें ।

Captcha/कृपया कैप्चा को दर्ज करें ।

इसके पश्चात **Submit** में क्लिक करें ।

.....